कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 78/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 26.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 26.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

जनपद आजमगढ़ ।

होली त्यौहार के दृष्टिगत विशेष अभियान

आगामी होली पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत 24 घंटे के अन्दर आजमगढ़ पुलिस द्वारा जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध विशेष सघन अभियान चलाकर 219 ली0 अवैध शराब बरामद व 58 व्यक्तियो के विरुद्ध की गयी कार्यवाही ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था उ0प्र0 के आदेश के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में आगामी होली पर्व के दृष्टिगत अवैध जहरीली शराब के निष्कर्षण/भंडारण, परिवहन एवं बिक्री पर अंकुश लगाये जाने हेतु आजमगढ़ पुलिस द्वारा जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में भट्ठों/संभावित स्थानो पर दबिश देकर अवैध जहरीली शराब के निष्कर्षण/भंडारण, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध सघन चेकिंग/तलाशी की गयी ।

➡ अभियान के दौरान **दिनांक-25.02.2026 को 24 घंटे के अन्दर कुल 159 स्थानो पर चेकिंग /दबिश दी गयी ,जिसमे 58 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। जिनके कब्जे से लगभग 219 लीटर** अवैध कच्ची/देशी शराब बरामद हुए ।

➡अवैध जहरीली शराब के निष्कर्षण/भंडारण, परिवहन एवं बिक्री की रोकथाम एवं बरामदगी के उद्देश्य से निरंतर चेकिंग की जा रही है।

➡ अवैध कार्यों में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

➡ आजमगढ़ पुलिस द्वारा होली पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु अवैध जहरीली शराब के निष्कर्षण/भंडारण, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक : 26.02.2026
थाना : अहरौला, जनपद : आजमगढ़

थाना अहरौला पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना अहरौला क्षेत्र में जहरीला पदार्थ खिलाकर की गई हत्या के प्रकरण में सक्रिय संगठित गिरोह के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण :-

गैंग लीडर श्रवण पाण्डेय पुत्र रामसकल पाण्डेय निवासी ग्राम भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने सह-अभियुक्तों/सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह का गठन किया गया, जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। गिरोह द्वारा आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विषाक्त पदार्थ खिलाकर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित किये गये।

➡ दिनांक 16.03.2025 को समय लगभग 17:30 बजे ग्राम भोगईचा निवासी सुनील पाण्डेय पुत्र रामकृपाल को बाजार जाते समय अभियुक्तों द्वारा पकड़कर अपने घर के अंदर ले जाकर मारपीट की गई तथा जहरीला पदार्थ खिलाया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दिनांक 17.03.2025 को वादिनी श्रीमती अंजनी पाण्डेय पत्नी स्व0 सुनील पाण्डेय की लिखित तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 110/2025 धारा 103(1)/3(5)/123 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण :-

आज दिनांक 26.02.2026 को थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार मिश्रा मय हमराह कर्मचारीगण के साथ मुखबिर की सूचना पर ग्राम भोगईचा स्थित जेठू सिंह स्मृति द्वार मोड़ से मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तों 01. रामसकल पाण्डेय पुत्र स्व0 राजाराम पाण्डेय, निवासी ग्राम भोगईचा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 56 वर्ष 02. रवि पाण्डेय पुत्र रामसकल पाण्डेय निवासी ग्राम भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 27 वर्ष को समय लगभग 09:00 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता :-

1. रामसकल पाण्डेय पुत्र स्व0 राजाराम पाण्डेय, निवासी ग्राम भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 56 वर्ष
2. रवि पाण्डेय पुत्र रामसकल पाण्डेय, निवासी ग्राम भोगईचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ, उम्र लगभग 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग :-

01. मु0अ0सं0 43/2026 धारा 2(b)(I)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 110/2025 धारा 103(1), 123, 3(5) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 43/2026 धारा 2(b)(I)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01. अमित कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
02. का0 अजीत कुमार यादव, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
03. का0 मुकेश गुप्ता, थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

प्रेस- नोट

थाना- (फूलपुर)

युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 17.01.2026 को आवेदक द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि वादी की बहन को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फूसलाकर गाड़ी में बैठाकर भगा ले जाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 13/26 धारा 87 बीएनएस बनाम गाडी नं0 युपी 50 सीएक्स 1524 के चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना अभियुक्त इस्माइल पुत्र स्व0 रइस अहमद ग्राम मोहल्ला चन्द्रशेखर आजाद नगर (बाड़ा) कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 26.02.2026 को व0उप0नि0 गंगाराम बिन्द मय हमराह के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन, तलाश वांछित/वारण्टी में रवाना होकर क्षेत्र में मौजूद था कि जरिए मुखबिर खास सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त इस्माइल पुत्र स्व0 रइस अहमद ग्राम मोहल्ला चन्द्रशेखर आजाद नगर (बाड़ा) कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को कस्बा फूलपुर के रेलवे अण्डर पास के नीचे से समय 10-55 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. स्माइल पुत्र स्व0 रइस अहमद ग्राम मोहल्ला चन्द्रशेखर आजाद नगर (बाड़ा) कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 13/26 धारा 87 बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1- स्माइल पुत्र स्व0 रइस अहमद ग्राम मोहल्ला चन्द्रशेखर आजाद नगर (बाड़ा) कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द

2-का0 अरविन्द तिवारी

3- का0 इरफान

प्रेसविज्ञप्ति-

थाना – सरायमीर, जनपद – आजमगढ़

थाना सरायमीर पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशुओं का वध करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 01 अभियुक्त को 21 किलो 400 ग्राम प्रतिबंधित मांस व उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 26.02.2026 को उ0नि0 धीरज कुमार मय हमराह के साथ थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थे। सिकरौर सहबरी बाजार क्षेत्र में मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि बखरा गांव निवासी मो0 दानिश पुत्र मो0 तौकीर द्वारा अवैध रूप से गोवंश वध कर मांस की बिक्री की जाती है तथा वर्तमान में वह गोवंश के अवशेष अपने ऑटो से फेंकने जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा हैदराबाद से बखरा जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी की गई। कुछ समय पश्चात एक संदिग्ध ऑटो आता दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर चालक भागने लगा, जिसे घेरकर मौके पर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मो0 दानिश पुत्र मो0 तौकीर निवासी बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बताया। ऑटो की तलाशी के दौरान एक झोले में प्रतिबंधित पशु का कटा हुआ सिर बरामद हुआ। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से 21 किलो 400 ग्राम प्रतिबंधित मांस (ड्रीप फ्रीजर में रखा

हुआ), 03 चापड़, 03 चाकू, 01 छोटा इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 01 बड़ा इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 01 लोहे का रॉड, 02 लोहे के कुंडे, 01 लकड़ी का ठीहा, ₹1220 नगद, 01 स्टील की कटोरी तथा पैकिंग सामग्री बरामद की गई।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने अपनी पत्नी रहनुमा बानो के नाम से "दानिश एग्रो फूड्स" नामक फर्म का लाइसेंस लिया है, जिसकी आड़ में वह अपनी पत्नी व यासीन पुत्र वसीम उर्फ भकालू निवासी बरगी मानीकला थाना खेतासराय जनपद जौनपुर के साथ मिलकर प्रतिबंधित पशुओं का वध कर मांस की बिक्री करता था तथा आय को आपस में बांट लेते थे। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए मु0अ0सं0 52/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के अंतर्गत समय लगभग 08:35 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

01. मो0 दानिश पुत्र मो0 तौकीर निवासी बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

फरार अभियुक्तः-

1. यासीन पुत्र वसीम उर्फ भकालू निवासी बरगी मानीकला थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।
2. रहनुमा बानो पत्नी मो0 दानिश निवासी बखरा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

बरामदगीः-

- लगभग 21 किलो 400 ग्राम गोमांस
- 03 चापड़, 03 चाकू
- 02 इलेक्ट्रॉनिक तराजू
- 01 लोहे का रॉड, 02 लोहे के कुंडे
- ₹1220 नगद
- पैकिंग सामग्री आदि

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 धीरज कुमार
2. का0 शशिकान्त तिवारी
3. हे0का0 विद्याकान्त सिंह
4. हे0का0 संतोष यादव
5. म0का0 संजू सिंह

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 26.02.2026

थाना- रानी की सराय जनपद आजमगढ़

"आजमगढ़: दिनांक 25.02.2026 को हुए पुलिस मुठभेड़ में घायल 50 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर नसीम के फरार साथी भुटेली और वसीम गिरफ्तार, देशी तमंचा व कारतूस सहित अवैध हथियार बरामद"

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनाँक 25.02.2026 को अभियुक्त के द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नियत फायर किया गया जिसके पास से एक अदद अवैध शस्त्र मय कार0 बरामद हुआ था जिसके सम्बन्ध मे थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के लिखित फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 44/2026 धारा 109(1)/351(3) बी0एन0एस0 बनाम 01. नसीम उर्फ लम्बू पुत्र दिलशेर अहमद निवासी कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ 02. भुटेली उर्फ करिया पुत्र इल्ताफ निवासीगण ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ 03.वसीम पुत्र दिलशेर नि0 कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया था । मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नसीम उर्फ लम्बु उपरोक्त दिनांक 25.02.2026 को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार होकर जिला कारागार आजमगढ़ भेजा गया है तथा अभियुक्तगण 01. भुटेली उर्फ करिया पुत्र इल्ताफ निवासीगण ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ 02.वसीम पुत्र दिलशेर नि0 कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ को आज गिरफ्तार कर जिला कारागार आजमगढ़ भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी की विवरण-

आज दिनांक 26.02.2026 को व0उ0नि0 सुशील कुमार सिंह, उ0नि0 अमिताबचन्द मय हमराही कर्मचारी के थाने से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र में मामूर था कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की मु0अ0स0 44/2026 धारा 109(1)/351(3) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. भुटेली उर्फ करिया पुत्र इल्ताफ निवासीगण ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ 02.वसीम पुत्र दिलशेर नि0 कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ जो कोईलारी खुर्द तालाब के पास मौजूद है। मुखबीर की सूचना पर अभियुक्तगण 01. भुटेली उर्फ करिया पुत्र इल्ताफ निवासीगण ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ 02.वसीम पुत्र दिलशेर नि0 कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ को कोइलारी खुर्द तालाब के पास से समय 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त **वसीम पुत्र दिलशेर उपरोक्त की जामा तलाशी लिया गया तो अभियुक्त के पास से एक अदद देशी तमंचा .315 बोर मय एक अदद कार0.315 बोर बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 49/2026 धारा 3/25आर्म्स एक्ट बनाम वसीम पुत्र दिलशेर नि0 कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ** पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 49/2026 धारा 3/25आर्म्स एक्ट, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त -

01. भुटेली उर्फ करिया पुत्र इल्ताफ निवासीगण ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ
02. वसीम पुत्र दिलशेर नि0 कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

बरामदगी–

एक अदद देशी तमंचा .315बोर , व एक अदद जिन्दा कार0 .315 बोर

अपराधिक इतिहास–

01. भुटेली उर्फ करिया पुत्र इल्ताफ निवासीगण ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

1.मु0अ0स0 218/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 11पशु क्रूर0 थाना रानी की सराय आजमगढ
02.मु0अ0स0 44/2026 धारा 109(1)/351(3) बी0एन0एस0 थाना रानी की सराय आजमगढ

02. वसीम पुत्र दिलशेर नि0 कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

1.मु0अ0स0 199/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध थाना जहानागंज
2. मु0अ0स0 34/21 धारा- 307,34 भादवि थाना जहानागंज
03.मु0अ0स0 389/2022 धारा 3(1)यी0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना जहानागंज
04.मु0अ0स0 79/2016 धारा 147/504/506 भादवि व sc st act थाना रानी की सराय
05.मु0अ0स0 49/2019 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना रानी की सराय

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 सुशील कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ
(2)उ0न0 अमिताबचन्द थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ
(3)का0 सर्वेश कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ
(4)का0 रमेश कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ
(5)का0 आलोक कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ
(6)हे0का0 रविचन्द थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक: 26.02.2026
थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

महिला के साथ छेडखानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व घटना का संक्षेप:-

दिनांक 25.02.2026 को थाना रानी की सराय में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी अखिलेश यादव उर्फ भोला पुत्र श्री कान्ता यादव ने मोबाइल के माध्यम से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया तथा विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। इस पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 47/2026 धारा 76, 351(3), 352 बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 26.02.2026 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अखिलेश यादव उर्फ भोला ग्राम चेकपोस्ट पर मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को समय करीब 11:40 बजे चेकपोस्ट से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 47/2026, धारा 76, 351(3), 352 बीएनएस, थाना रानी की सराय

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. अखिलेश यादव उर्फ भोला पुत्र श्री कान्ता यादव, ग्राम ईश्वरपुर, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सूरज तिवारी, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 जयप्रकाश पटेल, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़